

कार्यालय वन मण्डल अधिकारी वन मण्डल सिंगरौली(म0प्र0)

माजन मोड़ जिला पंचायत के बगल में

ईमेल-dfot.sgl@mp.gov.in, फोन-07805-233336 फैक्स-233335

क्र0/मा0चि0/ ५ 83/
प्रति,

सिंगरौली, दिनांक.....26/12/18

महाप्रबंधक

एन.सी.एल. निगाही परियोजना

विषय:-

Renewal for diversion of 874.146 ha of forest land in favour of M/s Northern coal fields Limited (NCL) for open cast mining of coal in Nigahi of District Singrauli in the State of Madhya Pradesh (Online proposal no. FP/MP/ MIN/28571/2017)- regarding.

संदर्भ:-

(i) भारत सरकार पर्यावरण मंत्रालय, वन एवं जलवायु परिवर्तन का पत्र क्रमांक F.No. 8-26/1986-FC (Pt.) दिनांक 12.12.2018।

(ii) अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) सतपुड़ा भवन भोपाल का पत्र क्रमांक/एफ-1/FP/MP/MIN/28743/2017/3891भोपाल, दिनांक 18.12.2018।

-000-

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र (i) के द्वारा वनमण्डल सिंगरौली अन्तर्गत नार्दन कोलफील्ड लिमिटेड निगाही ओपन कास्ट माईनिंग हेतु 874.146 हे0 वन भूमि को वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत नवीनीकरण व्यपवर्तन हेतु प्रस्ताव में प्रथम चरण की (सैद्धान्तिक) सशर्त स्वीकृति जारी की गयी है।

2 प्रथम चरण की (सैद्धान्तिक) सशर्त स्वीकृति के अनुसार एन.पी.व्ही की राशि का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र0	मद का नाम	क्षेत्रफल (हे0 में)	कैम्पा मद में जमा की जाने योग्य राशि	पेनाल्टी एन.पी.व्ही की राशि	कुल योग
1	2	3	4	5	6
1.	नेट प्रेजेन्ट वैल्यू	874.146	70,19,39,238 /-	28,07,75,696 /-	98,27,14,934 /-
योग:-			70,19,39,238 /-	28,07,75,696 /-	98,27,14,934 /-

3. एन.पी.व्ही. की कुल राशि रु. 70,19,39,238/- (रु. सत्तर करोड़ उन्नीस लाख उन्तालीस हजार दो सौ अड़तीस मात्र) एवं पेनाल्टी एन.पी.व्ही. की राशि रु. 28,07,75,696/- (रु. अट्ठाईस करोड़ सात लाख पचहत्तर हजार छः सौ छियानवे मात्र) कैम्पा मद में कुल राशि रु. 98,27,14,934/- (रु. अन्तानवे करोड़ सत्ताईस लाख चौदह हजार नौ सौ चौतीस मात्र) भारत सरकार की वेबसाईट के माध्यम से जमा कराकर चालान एवं यू.टी.आर. की प्रति इस कार्यालय में प्रस्तुत करें।

4. साथ ही प्रथम चरण सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित समस्त शर्तों का पालन प्रतिवेदन एवं वचन पत्र चार प्रतियों में टेबुलर फार्म में प्रस्तुत करें, ताकि पालन प्रतिवेदन वरिष्ठ की ओर प्रेषित किया जा सके।

5. भारत सरकार द्वारा जारी सैद्धांतिक सहमति की शर्त क्रमांक 2(vii) के पालन में Mitigative measures योजना की राशि तथा शर्त क्रमांक 2(xiv) के पालन में डेढ़ गुना सेफ्टी जोन वृक्षारोपण की राशि की एवं अन्य शर्तों के संबंध में राशियों की मांग पृथक से की जावेगी।

✍

(विजय सिंह)

वन मण्डल अधिकारी

वन मण्डल सिंगरौली

सिंगरौली दिनांक...26/12/2018

पृ0क्र0/मा0चि0/ 4832
प्रतिलिपि:-

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) सतपुड़ा भवन भोपाल म0प्र0 की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. मुख्य वन संरक्षक रीवा वृत्त रीवा की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।

✍

वन मण्डल अधिकारी

वन मण्डल सिंगरौली